न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अभिषेक गोयल, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 27/2012 <u>प्रार्थना पत्र</u>

1. श्री शंकरसिंह पिता दौलतसिंह जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
2. श्री चतरसिंह पिता दौलतसिंह जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
3. श्रीमती झमकुबाई पत्नी दौलतसिंह जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
4. श्रीमती वक्तावरबाई पुत्री मालसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
5. श्रीमती छगनबाई पुत्री मालसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
6. श्रीमती खमाणबाई पुत्री मालसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
7. श्रीमती मीराबाई पुत्री मालसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
8. श्रीमती मंजुबाई पुत्री मालसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
9. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी तखतसिंह जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
10. रायसिंह पिता तखतसिंह जाति उठड राजपुत आयु अवयस्क जरिये माता मोहनीबाई।
11. नरपतसिंह पिता तखतसिंह जाति उठड राजपुत आयु अवयस्क जरिये माता मोहनीबाई।
12. किशनसिंह पिता तखतसिंह जाति उठड राजपुत आयु अवयस्क जरिये माता मोहनीबाई।

    सभी निवासियान गुडला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गुलाबसिंह पिता मानसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
2. श्री नन्दसिंह पिता मानसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
3. श्री नानसिंह पिता खुमसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
4. श्री तेजसिंह पिता खुमसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
5. श्री मदनसिंह पिता चुनसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
6. श्री मदनसिंह पिता गुलाबसिंहजी जाति उठड राजपुत आयु वयस्क।
7. श्री प्रतापमल पिता छगनलाल जाति महाजन आयु वयस्क।
8. श्री भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति महाजन आयु वयस्क।
9. श्री रोशनलाल पिता छगनलाल जाति महाजन आयु वयस्क।
10. श्री राजु पिता भेरूलाल जाति महाजन आयु वयस्क।

    सभी निवासीयान गुडला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

उपस्थित : श्री संजय माण्डोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री सुनील पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 एवं 9।

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :–05.02.2020

प्रार्थीगण की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश करने के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी की ओर से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम गुडला, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता सं. 396 अनुसार आराजी सं. 2776, 2772, 2773, 2774, 2777, 2795 एवं 2801 कुल आराजी किता 07 कुल रकबा 3–01 बीघा स्थित है। उक्त कृषि भूमियो पर प्रार्थीगण का आधिपत्य होकर विधिवत रूप से उपयोग उपभोग करते हुए कृषि काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमियो मे अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार निहित नही है फिर भी वे बिना अधिकार के प्रार्थीगण को मात्र परेशान करने के आशय से उक्त कृषि भूमियो मे जबरन प्रवेश की धमकियां देते है। जिनका अप्रार्थीगण कोई हक, अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सम्पत्ति में अवरोध, हस्तक्षेप उत्पन्न करेगें जिससे प्रार्थीगण अपने सम्पत्ति के अधिकार से महरूम हो जावेंगे तथा उन्हे ऐसी अशोभनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कदापि सम्भव नही होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दोराने वाद प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमियो में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से अवरोध न करे न करावें एवं अप्रार्थीगण ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीगण के अधिकारो एवं हक पर विपरित प्रभाव पडे न स्वंय करे न करावे। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे राजस्व ग्राम गुडला तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता सं. 396 की कुल आराजी किता 07 कुल रकबा 3–01 बीघा पेश की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 6, 8 एवं 10 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी सं. 7 एवं 9 की ओर से जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं (1.) प्रथम दृष्टया

मामला, (2.) सुविधा का संतुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना होता है।

उक्त विचाराधीन बिन्दुओ के संबंध मे न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार हैः—

(1.) <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम गुडला तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2067—70 के खाता सं. 396 की वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीगण दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार होना जाहिर होता है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता है।

(2.) <u>सुविधा का सन्तुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति</u> :—उक्त दोनो ही बिन्दु मिले जुले तथ्यो से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है यदि फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द नही किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा प्रार्थीगण को ही कारित होगी क्योकि वे अपने स्वामित्व की संपत्ति का ही बिना किसी अवरोध के उपयोग—उपभोग नही कर पाएगें। उपरोक्तानुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दोनो ही बिन्दु ही प्रार्थीगण के पक्ष मे विनिश्चित किये जाते है।

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति सहित तीनो ही बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है। लिहाजा प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

<u>आदेश</u>

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण राजस्व ग्राम गुडला, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2067—70 के खाता सं. 396 अनुसार आराजी सं. 2776, 2772, 2773, 2774, 2777, 2795 एवं 2801 कुल आराजी किता 07 कुल रकबा 3—01 बीघा मे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न न स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। उपरोक्त मंतव्य का मूल वाद के विवेचन पर कोई विपरीत प्रभाव नही समझा जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **10.02.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2020.03.03 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: